न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 18/2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/58
दायर दिनांक :– 04.03.2021 निर्णय दिनांक :– 30.07.2025

1. कैलाश पुत्र भोमाराम जाति दर्जी निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. इमरती पत्नी मोडाराम पुत्री सोहनराम जाति दर्जी नि. जाम्बा तह. बाप जिला फलोदी
2. रामलाल पुत्र बगताराम जाति दर्जी निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. हडमानराम पुत्र बगताराम जाति दर्जी निवासी मनचितिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. करणाराम पुत्र हडमानराम जाति दर्जी निवासी ढाढरवाला तहसील बाप जिला फलोदी
5. जगदीश पुत्र हड़मानराम जाति दर्जी निवासी ढाढरवाला तहसील बाप जिला फलोदी
6. किशनाराम पुत्र हड़मानराम जाति दर्जी निवासी ढाढरवाला तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री ओमप्रकश गोदारा अधि. अप्रार्थी सं. 1
3 श्री प्रकाश विश्नोई अधि. अ. सं. 2 ता 6

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। खसरा नम्बर 39 रकबा 57–19 बीघा व खसरा नम्बर 42 रकबा 14–19 बीघा ग्राम जाम्बा पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में स्थित है। ग्राम जाम्बा से नया राजस्व ग्राम हासमपुरा नवसृजित हो जाने से वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 39 रकबा 57–19 बीघा भूमि वर्तमान नवसृजित ग्रमा हासमपुरा पटवार क्षेत्र चारणाई तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के नाना व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सोहन पुत्र विशना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में अचूकी के वारिसान प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, अनोपी के वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा एवं भारती के वारिसान अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बंट में आता है। इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 काबिज है।

30/7/25
सहायक कलेक्टर
बाप (राजस्थान)

इसी अनुसार प्रार्थी अपने पैतृक 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाना चाहता है। अत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थी के 1/4 पैतृक हिससे की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वय करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिस हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से श्री ओमप्रकाश गोदारा ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एव सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम जाम्बा एवं हासमपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि की अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार सोहन पुत्र विशना का वारिसान होने के कथन किये है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नही दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 अभिलिखित खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के उपभोग व उपयोग आदि सुविधा से वंचित हो सकती है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

<u>अपूर्णीय क्षति</u>

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>–:आदेश:–</u>

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)